



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22552

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2597 वर्ष 2026

मोहम्मद कामिल @ रानूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं अन्यविरोधी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अली अख्तर जैदी

विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, शकील अहमद

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायामूर्ति श्री प्रकाश सिंह

विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शकील अहमद द्वारा दायर वकालतनामा को अभिलेख पे ले लिया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस आवेदन के माध्यम से, आवेदकों ने अपर दीवानी न्यायाधीश (न्यायिक निर्णय)-3, हरदोई के न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 61527/2025 (राज्य बनाम मोहम्मद कामिल) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की है, जो अपराध संख्या 307/2024 धारा 498क, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 261/2024 दिनांक 25.06.2024 से संबंधित है, जो कि इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2026 को पारित आदेश के अनुसरण में दिनांक 06.02.2026 के आदेश द्वारा विधिवत सत्यापित समझौते के अनुसार है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि कुछ भ्रम के कारण आवेदकों के विरुद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में दोनों पक्ष आपस में मिले और सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों को सुलझा लिया, जिसे 2.1.2025 को लिखित रूप में दर्ज किया गया। इसके बाद, आवेदकों ने धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 233/2026 दायर किया, जिसमें इस न्यायालय ने अधीनस्त न्यायालय को उक्त समझौता पत्र को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और इसके अनुपालन में, समझौता पत्र को 9.2.2026 को सत्यापित किया गया था। उन्होंने बताया कि अब दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है और उन्होंने अपना विवाद सुलझा लिया है। उन्होंने निवेदन किया कि इस मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इसलिए, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।

विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिया है और विपक्षी पक्ष संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त दलीलों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच 2.1.2025 को समझौता हुआ था और उक्त समझौते का सत्यापन 9.2.2026 को किया गया था और अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के अनुसार, वे उपरोक्त मामले से संबंधित उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उपरोक्त को देखते हुए, चूंकि आवेदकों और विरोधी पक्षों ने 2.1.2025 को समझौता कर लिया है और अब कोई विवाद शेष नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2008) 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466** में दिए गए निर्णयों के मद्देनजर उपर्युक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

तदनुसार, उपर्युक्त आपराधिक मामला संख्या 61527/2025 में आवेदक के विरुद्ध धारा 498क, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध संख्या 307/2024 के अंतर्गत थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में दर्ज संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

यह समझौता इस आदेश का हिस्सा होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन स्वीकृत हो गया है।

अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।

मार्च 31, 2026

राम मूर्ति

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।